फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण अप्रार्थीगण

बना राम बनाम **हेमराज वगैराह**

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नं. 54/2025

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
18/6/25	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, के तहत वकील श्री हनुमानराम मण्डा ने पेश किया। वकील प्रार्थी ने प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से एक पक्षीय अस्थाई व्यादेश जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के कथनानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड में बदलाव कर सकते है। इस लिए वादग्रस्त अराजी को रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रर्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 14.07.2025 तक इस आशय की जारि कि जाति है मौजा ग्राम खाटुकला के खसरा नम्बर 988 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, में से प्रार्थी के हक बंट कब्जा काश्त में अप्रार्थी संख्या 1 से 13 दखल न करें और न ही वादग्रस्त खेताय का **बेचान, हस्तान्तरण, रहन या गिरवी, बक्सीस आदि नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 13 को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारिख पेशी दिनांक 14.07.2025 तक पाबंद किया जाता है।** **नोटः–** 1. उक्त अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा आगामी तारिख पेशी दिनांक 14.07.2025 तक ही प्रभावी रहेगा। 2. उक्त अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा बैंक लोन पर प्रभावी नहीं होगी। 3. प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्ट्रड ऐडी द्वारा भेजी जावें। 4. अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना कि जावे। 5. उक्त अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 251, 251 अ आर टी एक्ट पर प्रभावी नही रहेगी। अप्रर्थीगण असालतन या वाकालतन जरिये जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। प्रार्थी, अप्रार्थीगण को नोटिस से तलब किया जावे। पत्रावली नियत तारिख पेशी दिनांक 14.07.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
14/7/2025	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 31/7/25 को प्रस्तुत करें।	
31/7/25	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4/8/25 को प्रस्तुत करें।	
4/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं. 5 से 11 की ओर से मूल वाद में वकील	

बस्तीराम ढाका ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं 8 की ओर से जवाब पेश किया। बाकि प्रतिवादी नं. 5 से 7 व 9 से 11 की ओर से जवाब पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी 1 से 4 व 12, 13 दिनांक 07/8/25 को पेश हो।

7/8/25 पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली वास्ते बकाया तलबी एवं जवाबदावा हेतु आइन्दा दिनांक 20/8/25 को पेश हो।

20/8/25 पत्रावली प्रस्तुत। वकीलवादी अनुपस्थित। वादीगण स्वयं भी अनुपस्थित। न्यायहीत में एक अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बकाया तलबी हेतु 5/9/25 को पेश हो।

5/9/25 पत्रावली प्रस्तुत। वकीलवादी अनुपस्थित। वादीगण स्वयं भी अनुपस्थित। उक्त पत्रावली में मूल वाद 117/2025 अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र maintainable नहीं है तथा खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18/6/2025 को विड्रो किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(मुख. हो मां.) जायल (नागौर)